मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के संकेत

सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का विपक्ष ने किया प्रतीकात्मक बहिर्गमन

अर्चिस मोहन

विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद सत्र से पहले होने वाली परंपरागत सर्वदलीय बैठक से प्रतीकात्मक रूप से बहिर्गमन किया। रविवार को उन्होंने कुछ मिनटों के लिए बैठक से बाहर निकलकर सरकार के नैशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) को आमंत्रित किए जाने पर विरोध जताया जबकि इसके भविष्य पर अंतिम निर्णय अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास लंबित है।

उन्होंने यह मांग भी कि सरकार को सत्र के दौरान परीक्षाओं के पेपर लीक, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के विरोध, ईंधन में एथनॉल मिलाने और पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों की मौत, सरकार द्वारा देश की विदेश नीति के प्रबंधन और अयोध्या के राम मंदिर में दान की कथित चोरी जैसे विषयों पर चर्चा पर सहमति देनी चाहिए।

विपक्षी नेताओं का बहिर्गमन बताता है कि संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। सोमवार को आरंभ हो रहा यह सत्र 13 अगस्त तक यानी 25 दिन चलेगा। सरकार ने इस दौरान पांच नए विधेयक सूचीबद्ध किए हैं जिन्हें वह इस सत्र में प्रस्तुत कर सकती है। इनमें से 1971 के राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन का एक प्रस्ताव भी शामिल है जिसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन में किसी भी प्रकार का अपमान या बाधा डालना दंडनीय अपराध बनाया जाएगा।

गुरुवार को जारी सरकार के विधायी एजेंडे में उस संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख नहीं है जिसके तहत 2029 तक लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाना है। लोक सभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित परिसीमन विधेयक का भी कोई जिक्र नहीं है। संविधान (131वां संशोधन विधेयक) विस्तारित बजट सत्र के दौरान 17 अप्रैल को लोक सभा में विफल हो गया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मुद्दे पर नया विधेयक तब पेश करेगी जब उसे लोकसभा में दोतिहाई बहुमत हासिल करने का भरोसा होगा। उसने उन दलों से भी संपर्क किया है जिन्होंने पहले के कानून का विरोध किया था। सरकार इसमें एक प्रावधान शामिल कर सकती है जिसके तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी ताकि दक्षिणी राज्यों की परिसीमन संबंधी चिंताओं का समाधान किया जा सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, 'कुछ टीवी चैनल साफ तौर पर प्रायोजित खबरें चला रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में परिसीमन विधेयक को समर्थन मिला है। यह पूरी तरह से झूठी और फर्जी खबर है।' कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने विपक्ष के अन्य दलों से संपर्क किया है और वे अब भी सीमा निर्धारण विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

सर्वदलीय बैठक में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने सरकार से संविधान संशोधन विधेयक पर स्पष्ट फॉर्मूला लाने की मांग की, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। पार्टी ने कहा कि यह कोटा लोकसभा की वर्तमान शक्ति के आधार पर दिया जाना चाहिए। बैठक के बाद द्रमुक सांसद तिरुची शिवा ने पत्रकारों से कहा, 'द्रमुक लोकसभा की वर्तमान शक्ति के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है लेकिन हम सीमा निर्धारण मुद्दे पर अधिक स्पष्टता चाहते हैं।' शिवा ने कहा कि सीमा निर्धारण प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने सरकार से अधिक स्पष्टता की मांग की। उन्होंने कहा, 'यदि यह दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करता है, तो इसे 25 वर्षों के लिए स्थगित कर देना चाहिए।' शिवा ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी विधेयक पर अपने रुख से पीछे नहीं हटी है।

सर्वदलीय बैठक आरंभ होते ही विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के उन फैसलों का विरोध किया जिनमें तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को सदन में अलग सीटें दी गईं और शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के छह विद्रोही सांसदों का महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय किया गया। जिन दलों के सांसदों बहिर्गमन किया उनमें कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, नैशनल कॉन्फ्रेंस, वाम दल और शिवसेना (उद्धव ठाकरे धड़ा) शामिल थे।

सर्वदलीय बैठक में विपक्षी सांसद जल्द ही लौट आए और उन्होंने विरोध जताया कि एनसीपीआई को आमंत्रित करना 'न्याय का हनन' है। जयराम रमेश ने इसे '20 तथाकथित विद्रोही तृणमूल कांग्रेस सांसदों के लिए पार्किंग स्थल' बताया।

एनसीपीआई नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी एक राजनीतिक संगठन है जिसे निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है और यह राजग का सबसे बड़ा घटक दल है। उन्होंने कहा, 'मैंने बैठक में यह भी मांग की कि एक छोटी पार्टी (तृणमूल के बचे हुए सांसद) को लोकसभा में पहली पंक्ति में सीटें नहीं दी जानी चाहिए। पार्टी में अब सिर्फ आठ सांसद बचे हैं जबकि इसके 28 में से 20 सांसद बाहर चले गए।'

किरण रिजिजू ने इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'एनसीपीआई ने लोकसभा अध्यक्ष से मान्यता की मांग की थी। आप उन्हें कैसे अनदेखा कर सकते हैं? सरकार का कर्तव्य है कि सभी को आमंत्रित करे।' बंद्योपाध्याय ने कहा, 'यदि स्पीकर को लगता है कि यह अयोग्यता के लिए उपयुक्त है तो वे सदस्यता के अयोग्य घोषित करेंगे। और यदि उन्हें लगता है कि कल से हमें पहली पंक्ति में अलग ब्लॉक के रूप में बैठना चाहिए तो कल पता चल जाएगा। 24 घंटे इंतजार कीजिए।' बंद्योपाध्याय ने बताया कि एनसीपीआई सांसद काकोली घोष दस्तीदार रविवार को लोकसभा अध्यक्ष को सभी आवश्यक दस्तावेज सौंपेंगी।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, '20 अयोग्यता याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। संविधान के 91वें संशोधन के बाद अलग ब्लॉक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो किस आधार पर संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 विद्रोही सांसदों को आमंत्रित किया और वे इस बैठक में कैसे शामिल हो रहे हैं?'

शिवसेना (उद्धव ठाकरे), जिसके छह सांसद शिंदे-नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं, और आम आदमी पार्टी (आप), जिसके 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 अप्रैल में भाजपा में शामिल हो गए थे ने भी विरोध में हिस्सा लिया।

सरकार ने कहा कि वह विपक्ष की सुनेगी और विपक्ष को भी उसकी सुननी चाहिए। सरकार ने बताया कि बैठक में 40 राजनीतिक दलों के 58 सांसद शामिल हुए। किरण रिजिजू ने कहा, 'यदि वे विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हें बहस के माध्यम से करना चाहिए, न कि अराजकता और विरोध पैदा करके। हम सहयोग करेंगे और आशा करते हैं कि वे भी सहयोग करेंगे।'

इससे पहले कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा किया जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। उसमें अयोध्या राम मंदिर में कथित दान घोटाले की जांच की मांग की गई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी अस्वीकार्य है और उनसे जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

खरगे ने रविवार को एक्स पर पत्र (दिनांक 18 जुलाई) साझा करते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी को हमारा संयुक्त पत्र, जिसमें हमने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की है। लाखों श्रद्धालु जिन्होंने विश्वास, भक्ति और भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई दान की, वे इस चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।'

रविवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल (बाएं)

विपक्ष का विरोध

- सोमवार को आरंभ हो रहा मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक यानी 25 दिन चलेगा
- विपक्ष ने सरकार के नैशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया को आमंत्रित किए जाने पर कड़ा विरोध जताया
- विपक्ष ने कहा कि सरकार को परीक्षाओं के पेपर लीक, सोनम वांगचुक के विरोध, एथनॉल मामला, भारतीय नाविकों की मौत और राम मंदिर में दान की कथित चोरी जैसे विषयों पर चर्चा पर सहमति देनी चाहिए

निजी अस्पताल में स्थानांतरण की मांग

अदालत का हस्तक्षेप करने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में जारी इलाज के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि इस चरण में सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने संबंधी उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। शनिवार को भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। वांगचुक 28 जून से नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे थे।

रविवार को विशेष सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर वांगचुक की लगातार निगरानी कर रहे हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की जबरदस्ती की जा रही है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय के 16 जुलाई के उस आदेश का संज्ञान लेते हुए, जिसमें अधिकारियों को सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया गया था, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि चूंकि वांगचुक स्वयं किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे, इसलिए उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सरकार का उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाना 'उसके अधिकार क्षेत्र' में था।

सोनम वांगचुक

मार्च का आह्वान, सुरक्षा कड़ी

संसद के मॉनसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी के सोमवार को प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च से पहले नई दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने रविवार को 'एक्स' पर जारी एक सार्वजनिक परामर्श में बताया, 'दिल्ली पुलिस स्पष्ट करती है कि इस तरह के किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है।'

दीपके का बड़ी संख्या में जुटने की अपील

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार को अपने समर्थकों से सोमवार को प्रस्तावित 'संसद चलो' मार्च से पहले बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर एकत्र होने की अपील की। **भाषा**

बैंक तैयार, प्रवर्तकों से गारंटी का इंतजार

पृष्ठ 1 का शेष

बैंकर ने कहा कि वोडाफोन नेतृत्व को आगे की गारंटी के मुद्दे पर निर्णय लेना होगा।

घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के अनुसार वोडाफोन आइडिया की बैंकों के साथ चर्चा आगे बढ़ चुकी है लेकिन अंतिम मंजूरी मिलने में अभी कुछ समय लगेगा। एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'बैंक कर्ज देने के लिए इच्छुक हैं, खास कर प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी डालने के बाद।' बैंकों से नया कर्ज मिलना कंपनी के लिए महत्त्वपूर्ण होगा क्योंकि वित्त वर्ष 2027 में वह पूंजीगत व्यय बढ़ाना चह रही है। इस साल जनवरी में वोडाफोन आइडिया ने 5जी नेटवर्क चालू करने, दो अंक की राजस्व वृद्धि हासिल करने, अपने परिचालन लाभ को तिगुना करने और सबसे महत्त्वपूर्ण बात लगातार ग्राहकों को जोड़ने के लिए अगले तीन वर्षों में 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना की घोषणा की थी। वोडाफोन आइडिया ने फरवरी से अपने साथ शुद्ध आधार पर ग्राहक जोड़ रही है। पिछले चार महीनों में उसने कुल करीब 30 लाख ग्राहक जुड़े हैं।

वोडाफोन आइडिया अपने अन्य प्रवर्तक वोडाफोन पीएलसी से भी 5,836 करोड़ रुपये प्राप्त करेगा,

जिसके पास कंपनी की 16.07 फीसदी हिस्सेदारी है। यह दिसंबर 2025 के संशोधित आपात देनदारी समायाजन तंत्र समझौते का हिस्सा है। इस पर मूल रूप से 2017 में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। वोडाफोन आइडिया को अगले 12 महीनों में 2,307 करोड़ रुपये नकद मिलेंगे। शेष राशि अगले पांच वर्षों में 3,28 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री से आएगी। इसके बाद ब्रिटेन मुख्यालय वाली दूरसंचार कंपनी की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में घटकर 15.5 फीसदी रह सकती है जबकि भारतीय सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 49 फीसदी से कम होकर 47.1 फीसदी रह सकती है।

दूरसंचार कंपनी को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान में भारी राहत मिली है और उसे 27 फीसदी कम कर दिया गया है। अगले तीन वर्षों में कंपनी को स्पेक्ट्रम भुगतान के रूप में 49,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।

कच्चे तेल में नरमी से घाटे पर अंकुश

पृष्ठ 1 का शेष

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'हमें लगता है कि व्यापार घाटा बढ़ेगा और सेवाओं एवं प्रेषण से मिलने वाली मदद भी कमजोर रहेगी। मुझे नहीं लगता कि व्यापार घाटा जल्द ही कम होने वाला है।'

जून तिमाही में भारत का व्यापार संतुलन पिछले साल की समान तिमाही के 37.4 अरब डॉलर से घटकर 20.85 अरब डॉलर रह गया। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार शामिल हैं।

भले ही अनुमानों को कम कर दिया गया है, मगर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुख्य जोखिम अब चालू खाता नहीं बल्कि स्थिर पूंजी प्रवाह के जरिये उसका वित्तपोषण है।

क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने भी सीएडी अनुमानों में की गई कमी का श्रेय कच्चे

तेल के अनुमानों को दिया। उन्होंने भी कहा कि मुख्य मुद्दा पूंजी प्रवाह का है। उन्होंने कहा, 'भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मदद मिलेगी।' कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के सीएडी अनुमान को जीडीपी के 1.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। कोटक महिंद्रा बैंक के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा, 'समस्या चालू खाते के घाटे की नहीं बल्कि इस बात की है कि चालू खाते को वित्तपोषित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी है या नहीं। मुझे लगता है कि आरबीआई के उपायों से इस अंतर को पाटने में मदद मिली है।' आरबीआई ने पिछले महीने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। उनमें 3 से 5 साल की नई विदेशी मुद्रा प्रवासी बैंक (एफएनसीआर-बी) जमाओं पर पूर्ण हेजिंग लागत का वहन करना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विदेशी उधारी पर रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप की पेशकश आदि शामिल हैं।

बहरहाल अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि भारत की बाहरी स्थिति सहज बनी हुई है। सेनगुप्ता ने कहा, 'चालू खाते का घाटा अगर जीडीपी के 2 फीसदी के दायरे में है तो उसे काबू में माना जा सकता है।' इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी के बोझ में कमी आती है। उन्होंने कहा, 'इससे सरकार को राजकोषीय मोर्चे पर कुछ राहत मिलेगी।'

Bank of India
Relationship beyond banking

ई–नीलामी बिक्री सूचना

ई–नीलामी की तिथि : 25.08.2026

नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, H-2, तीसरी मंजिल, स्टार हाउस, पीवीआर प्लाजा के पीछे, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

फोन नं. 011–23755605 ई–मेल : assetrecovery.newdelhi@bankofindia.bank.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है जहां है" "जैसा है वही है" "बिना किसी सहारे के" और "जो है वहां है"** के आधार पर दिनांक **25.08.2026** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे को बेचा जाएगा। **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है**

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गांरटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	a) आरक्षित मूल्य b) ईएमडी c) बोली वृद्धि राशि	निरीक्षण की तिथि और समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मो. नं.
1.	**मेसर्स वैष्णवी** **उधारकर्ता : श्रीमती मीनू** मकान नंबर सी–35, सी ब्लॉक, गांधी नर्सिंग होम के सामने, गुलाब बाग, ओम विहार उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059	एक दुकान, जिसका आकार 10' × 35' वर्ग फुट है, भूतल पर स्थित, बिना छत अधिकारों सहित, संपत्ति संख्या WZ–11 का हिस्सा, जो 34.75 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित है, जो खसरा संख्या 89/13 से संबंधित 200 वर्ग गज भूमि के एक भाग पर स्थित है, गांव हस्तसाल के क्षेत्र में, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– I, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 की आबादी में स्थित है, तथा उक्त संपत्ति के नीचे की भूमि में आनुपातिक अधिकारों एवं उक्त संपत्ति के नीचे की भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकारों सहित। (उक्त संपत्ति को मेसर्स लखदाताार के एनपीए खाते के लिए भी अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में विस्तारित/बंधक किया गया है।) (सम्पत्ति सांकेतिक कब्जे के अंतर्गत)	रू. 46.28 लाख, + उस पर लगने वाला यूसीआई और अन्य शुल्क।	a) ₹ 68.75 लाख b) ₹ 6.88 लाख c) ₹ 50,000	03–08–2026, पहले से अपॉइंटमेंट लेकर	श्री रामपाल सिंह - 8461836131 पूछताछ के लिए श्री हिमांशु बजाज से संपर्क करें 9810977755
2.	**उधारकर्ता: सुश्री मोहिनी चक्रवर्ती पुत्री शलेश** **मकान नंबर** 601, दुरुव वाटिका गली नंबर 1 के पास आदर्श नगर बल्लबगढ़ हरियाणा–121004 **गारंटर: श्री देवराज पुत्र सत्यपाल मकान** नंबर 99 निकट लाल कोठी सुभाष कॉलोनी बल्लबगढ़ हरियाणा–121004	आदर्श नगर, मौजा ऊंचा गांव, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित खेवट/खाता संख्या 866/1206, रेक्ट संख्या 40, किला संख्या 12मिन(5–7) के अंतर्गत आने वाले प्लॉट संख्या 1, जिसका क्षेत्रफल 166 वर्ग गज (25X60) है, संपत्ति का वह समस्त भाग। उत्तर दिशा में: अन्य संपत्ति, दक्षिण दिशा में: 30 फुट चौड़ी सड़क पूर्व दिशा में: श्री देवराज (गारंटर) की संपत्ति, पश्चिम दिशा में: प्लॉट संख्या 2 (सम्पत्ति भौतिक कब्जे के अंतर्गत)	रू. 37.50 लाख, + उस पर लगने वाला यूसीआई और अन्य शुल्क।	a) ₹ 41.65 लाख b) ₹ 4.2 लाख c) ₹ 50,000	31-07-2026, पहले से अपॉइंटमेंट लेकर	श्री रामपाल सिंह - 8461836131 पूछताछ के लिए श्री हिमांशु बजाज से संपर्क करें 9810977755
3.	**उधारकर्ता: मैसर्स रियल टाइम सिस्टम्स लिमिटेड** **निदेशक: 1. श्री संजय मोदी (सीएमडी)** **2. श्री हेमंत चड्ढा (एमडी)** **3. श्रीमती नीना मोदी (निदेशक)** **4. श्री पृथ्वीपाल सिंह (निदेशक)** **गारंटर: 1. श्री संजय मोदी** **2. श्री हेमंत के चड्ढा** **3. मैसर्स डिस्टिंक्टिव डिवाइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**	उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज स्थित एल्डिको औद्योगिक पार्क के फेज़– I, ए 194–सी में स्थित 3994.80 वर्ग मीटर के औद्योगिक भूखंड पर परि पासु प्रभार लागू है। यह भूखंड खसरा संख्या 141, 145, एल्डिको औद्योगिक पार्क, ए 194–सी, फेज़– I में स्थित है। मूल गुणवत्ता माप (ईक्यूएम) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) के पास है, साथ ही संयंत्र और मशीनरी सहित चल संपत्तियां भी इसी भूखंड पर स्थित हैं। संपत्ति आईडी: BKID6102REALTIMESYSTEM नोट: संपत्ति को ऊपर उल्लिखित एक ही संपत्ति आईडी के तहत संयंत्र और मशीनरी सहित बेचा जाएगा। इसलिए, कुल आरक्षित मूल्य राशि के लिए संयुक्त रूप से बोली लगानी होगी। बैंक सफल बोलीदाता को दो बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, एक भूमि और भवन के लिए और दूसरा संयंत्र और मशीनरी के लिए, साथ ही जीएसटी चालान (18% जीएसटी) भी जारी करेगा। (सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास हैं।)	रू. 826.93 लाख यूसीआई और अन्य शुल्क प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए – 4.94 करोड़ रुपये+ यूसीआई और अन्य शुल्क	a. i) भूमि एवं भवन ₹ 3,57,12,000/- (ii) संयंत्र एवं मशीनरी ₹ 7,20,000/- और जीएसटी सहित कुल ₹ 3,64,32,000.00/-	01-08-2026 पहले से अपॉइंटमेंट लेकर	श्री रामपाल सिंह 8461836131

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल https://baanknet.com वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को https://baanknet.com पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर/चालान फॉर्म जनरेट करने के माध्यम से बैंकनेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा (https://baanknet.com)
3) नीलामी की तिथि और समय: 25.08.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक, प्रत्येक 05 मिनट के असीमित ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।
4) ई–नीलामी आरक्षित मूल्य और ऊपर उल्लिखित प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को सभी संपत्तियों के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा।
5) इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी में सुचारू भागीदारी के लिए 25.08.2026 को प्रातः 11.00 बजे से पहले https://baanknet.com पर आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों के साथ BAANKNET EMD वॉलेट में आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात अग्रिम राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
6) उच्चतम/सफल बोलीदाता को क्रय राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई अग्रिम राशि सहित अर्थात बोली राशि का 10%) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री के संबंध में बोली स्वीकार करने के बाद बिक्री की पुष्टि के तुरंत बाद लेकिन अगले कार्य दिवस (बैंकिंग समय के दौरान) से अधिक देर नहीं जमा करना होगा, अन्यथा अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी।
7) क्रय राशि का शेष 75% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन (बैंकिंग समय के दौरान) या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत किसी विस्तारित अवधि में और केवल उसके विवेक पर देय होगा। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा न करने की स्थिति में, जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक नीलामी रद्द करके नई नीलामी आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8) संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री पूर्ण मानी जाएगी और बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
9) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वह स्वीकार्य न हो, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
10) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें – https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3
11) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकदाताओं को 30 दिन पहले की सूचना भी है।
12) इस सूचना के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा संस्करण के बीच विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 19.07.2026, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
पी.एस.बी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
H.O. CISO सेल, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, तीसरी मंज़िल, सेक्टर 3, रोहिणी, नई दिल्ली 110085.
ई–मेल: psbsecurity@psb.bank.in
जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

निविदा सूचना

पंजाब एंड सिंध बैंक, आने वाली साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कोटेशन देने के मकसद से IRDAI में रजिस्टर्ड इच्छुक जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे संलग्न 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (RFP) के अनुसार GeM पोर्टल पर अपना प्रपोज़ल अपलोड करें। योग्यता के मानदंडों, काम के विस्तृत दायरे और अन्य संबंधित जानकारी के लिए, RFP को बैंक की वेबसाइट **https://punjabandsind.bank.in/** और GeM पोर्टल **https://gem.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। इस टेंडर से संबंधित कोई भी बदलाव केवल बैंक की वेबसाइट और GeM पोर्टल पर ही पोस्ट किया जाएगा।

सहायक महाप्रबंधक – साइबर सुरक्षा

https://bankofbaroda.bank.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
बड़ौदा सन टावर, मुंबई

निविदा सूचना

बैंक ऑफ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है

क्र. सं.	निविदा का नाम	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
1	CASA तथा संबंधित बैंकिंग उत्पादों के लिए AI-सक्षम ओमनीचैनल डिजिटल ग्राहक ओनबोर्डिंग प्लेटफार्म की आपूर्ति, कार्यान्वयन, एकीकरण और सहायता हेतु विक्रेता के चयन के लिए निविदा (RFP)	10 अगस्त 2026

विवरण बैंक की वेबसाइट https://bankofbaroda.bank.in पर निविदा खंड के अंतर्गत तथा गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पर उपलब्ध है।
अन्य सूचना, यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट https://bankofbaroda.bank.in पर निविदा खंड में और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर जारी किया जाएगा। बोलीकर्ता कृपया आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 20.07.2026 — **मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)**

57/26-27